भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3565
जिसका उत्तर मंगलवार 11 अगस्त, 2015 को दिया जाना है

ईंधन दक्षता

3565. श्री नित्यानन्द राय:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ओटोमोबाइल विनिर्माताओं और वितरकों द्वारा अनुपालन करने के लिए वाहनों में ईंधन की दक्षता के मानक निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वाहनों द्वारा निम्न स्तर की ईंधन दक्षता से ईंधन की बर्बादी के बारे में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के का. आ. 1072(ई) के माध्यम से एम1 यात्री वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानक अधिसूचित किए हैं।

(ग) और (घ): जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*****